[2019] 9 एस.सी.आर. 663

राम गोपाल

बनाम

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, देहरादून

(2019 की आपराधिक अपील संख्या 1085 आदि)

22 जुलाई, 2019

[अशोक भूषण और नवीन सिन्हा, न्यायमूर्ति]

दंड संहिता, 1860:

धाराएं 120-बी, 420, 467, 468, 471, 477-ए और 201, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराएं 13(1)(डी) और 13(2) के साथ पढ़े - के तहत दोषसिद्धि - बैंक कर्मचारियों का - काल्पनिक खाता खोलने, उसमें कुछ राशि जमा करने और सत्रह चेकों द्वारा उसमें से निकासी के लिए - का औचित्य – अभिनिर्धारित किया: यह साबित होता है कि धोखाधड़ी बैंकिंग प्रक्रियाओं से अच्छी तरह से परिचित व्यक्तियों द्वारा व्यवस्थित तरीके से की गई थी - इस बात का कोई बचाव साक्ष्य नहीं है कि अपीलार्थियों (बैंक कर्मचारियों) के पास बैंक के अभिलेखों तक कोई पहुंच नहीं थी - उनकी संलिप्तता के साक्ष्य पुख्ता हो रहे हैं - दोषसिद्धि बरकरार राखी गई।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

अभिनिर्धारित किया: 1. यह एक निर्विवाद तथ्य है कि बैंकिंग प्रक्रियाओं के अनुसार उचित सत्यापन के बिना एक काल्पनिक खाता खोला गया था। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यह जांच का विषय नहीं था और जिससे गबन की प्रकृति और तरीके के संबंध में अधिक तथ्य सामने आ सकते थे, इसमें शामिल व्यक्तियों के साथ। विचारण न्यायालय ने ठीक ही प्रेक्षण किया है कि बैंकिंग प्रक्रियाओं के अनुसार, खाता खोलना, उसमें जमा करना और निकासी करना अकेले अपीलार्थियों का काम नहीं हो सकता था। लेकिन केवल इसलिए कि जांच उस मानक और प्रकृति की नहीं रही होगी जो होनी चाहिए थी, इसलिए सामग्री की प्रकृति और उनके खिलाफ उपलब्ध साक्ष्य को देखते हुए अपीलार्थियों के लाभ के लिए आश्वस्त नहीं किया जा सकता है। [पैरा 6] [665-जी-एच; 666-ए-बी]

2. अभियोजन के लिए अपीलार्थियों के खिलाफ मंजूरी की वैधता, जो निर्विवाद रूप से एक ही शाखा में क्रमशः संदेशवाहक और सहायक क्लर्क के रूप में कार्यरत थे, पी.डब्लू.-1 और पी.डब्लू.-2 द्वारा साबित हो गई है। साजिश स्थापित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। [पैरा 7] [666-सी, ई]

3. धोखाधड़ी बैंकिंग प्रक्रियाओं से अच्छी तरह से परिचित व्यक्तियों द्वारा व्यवस्थित तरीके से की गई थी। अपीलार्थी बैंक के कर्मचारी भी थे। बचाव पक्ष के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उनके पास अपराध करने के लिए किसी भी स्तर पर बैंक के अभिलेखों तक उनकी पहुंच नहीं थी। इसके विपरीत, उनकी संलिप्तता के साक्ष्य पुख्ता हो रहे हैं। अपने सामान्य कर्तव्यों के हिस्से के रूप में उनकी पहुँच वाउचरों और खातों तक भी थी। यहाँ तक कि नमूना हस्ताक्षर कार्ड को भी गायब कर दिया गया था और उसके स्थान पर एक फटे हुए कागज को रखा गया था। इसलिए अपीलार्थियों की दोषसिद्धि में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। [पैरा 8 और 9] [666-जी-एच; 667-ए]

आपराधिक अपील अधिकारिता: 2019 की आपराधिक अपील संख्या 1085

के साथ

2019 की आपराधिक अपील संख्या 1086

2013 की आपराधिक अपील संख्या 1226 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के दिनांक 05.09.2017 के न्यायिक निर्णय और आदेश से।

एस.एस. कुलश्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता, अजीत पांडे, दानिश जुबैर खान, रामेश्वर प्रसाद गोयल, अधिवक्तागण, अपीलार्थी के लिए।

मुकुल सिंह, रजत नायर, अरविंद कुमार शर्मा, मुकेश कुमार मारोरिया, अधिवक्तागण, प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

नवीन सिन्हा, न्यायमूर्ति 1. अनुमति प्रदान की गई।

2. अपीलार्थीयों ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं 13(1)(डी) और 13(2) के साथ पठित आई.पी.सी. की धाराएं 120-बी, 420,467,468,471,477-ए, 201, के तहत अपनी दोषसिद्धि को चुनौती दी हैं।

3. भारतीय स्टेट बैंक, गाजियाबाद के सहायक महाप्रबंधक के बयान के आधार पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने राज कुमार के नाम से दिनांक 13.07.1992 को एक काल्पनिक बैंक खाता खोलने के संबंध में दिनांक 12.04.1994 को एफ.आई.आर. दर्ज की। इसके तुरंत बाद 23.07.1992 से 31.10.1992 की अवधि के बीच

अलग-अलग जाली क्रेडिट प्रविष्टियों द्वारा खाते में 3,22,056.00 रुपये जमा किए गए। इसके बाद अलग-अलग तारीखों पर सत्रह चेकों द्वारा, 322.85 रुपये की शेष राशि छोड़कर, 3,22,000.00 रुपये की राशि वापस निकाल ली गई। मूल रूप से बैंक के दो क्लर्क, दिनेश कुमार शर्मा और श्रीमती. वंदना कुंद्रा को अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ आरोपी के रूप में नामित किया गया था। अपीलार्थियों के नाम जाँच के दौरान सामने आए जिससे केवल उनके खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया और मुकदमे के समापन के बाद उन्हें दोषी ठहराया गया।

4. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है जबकि मूल नामित अभियुक्तों को जाँच के दौरान गलत तरीके से दोषमुक्त कर दिया गया है। उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी कानून के अनुसार नहीं थी। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अपीलार्थियों ने काल्पनिक खाता खोलने के संबंध में किसी भी तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपराधिक साजिश के समर्थन में कोई सबूत नहीं मिला है। अपीलार्थियों के लिए खाता खोलने के प्रपत्र, खाता धारक के नमूना हस्ताक्षर के संबंध में साक्ष्य को नष्ट करना या खाते में जाली क्रेडिट या डेबिट प्रविष्टियां करना संभव नहीं था। चेक पर लेखन और हस्ताक्षर के संबंध में हस्तलेखन विशेषज्ञ की रिपोर्ट केवल एक राय की अभिव्यक्ति थी। डी.डब्ल्यू.-1, अपीलार्थियों की ओर से लिखावट विशेषज्ञ, ने अपीलार्थियों की उसी लिखावट और हस्ताक्षर पर संदेह किया था। इसलिए वे संदेह के लाभ के हकदार हैं। काल्पनिक खाता खोलने के लिए जिम्मेदार संबंधित बैंक कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, अभियोजन पक्ष ने ऐसे व्यक्तियों की जांच और पहचान करने का भी प्रयास नहीं किया है। वाहक चेक के माध्यम से काल्पनिक खाते से निकासी अपीलार्थियों द्वारा प्राप्त नहीं की गई थी जैसा कि पी.डब्लू.-3 द्वारा स्वीकार किया गया था।

5. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि हस्ताक्षर विशेषज्ञों सहित साक्ष्य का गहन मूल्यांकन किया गया है और अपीलार्थियों के खिलाफ आरोप साबित हुआ है।

6. हमने पक्षकारों की ओर से प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अभिलेख पर सामग्रीयों का अध्ययन किया है। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि बैंकिंग प्रक्रियाओं के अनुसार उचित सत्यापन के बिना एक काल्पनिक खाता खोला गया था। यह दुर्भाग्य से जांच का विषय नहीं प्रतीत होता है और जो गबन की प्रकृति और तरीके के संबंध में अधिक तथ्यों का खुलासा कर सकता था, जो हुआ है, उसमें शामिल व्यक्तियों के साथ। विचारण न्यायालय ने ठीक ही प्रेक्षण किया है कि बैंकिंग प्रक्रियाओं के अनुसार, खाता खोलना, उसमें जमा करना और निकासी करना अकेले अपीलार्थियों का काम नहीं हो सकता था। लेकिन केवल इसलिए कि जांच उस मानक और प्रकृति की नहीं हो सकती है जो उसे होनी चाहिए थी, अपीलार्थियों के खिलाफ उपलब्ध सामग्री और साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए उनके लाभ के लिए सुनिश्चित नहीं हो सकती है।

7. अभियोजन के लिए अपीलार्थियों के खिलाफ मंजूरी की वैधता, जो निर्विवाद रूप से एक ही शाखा में क्रमशः संदेशवाहक और सहायक क्लर्क के रूप में कार्यरत थे, पी.डब्लू.-1 और पी.डब्लू.-2 द्वारा साबित की गई है। उप. निरीक्षक, केंद्रीय जांच ब्यूरो पी.डब्लू.-23 ने साबित किया कि अपीलार्थियों ने जांच के दौरान अपना नमूना लेखन और हस्ताक्षर दिए थे। प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी, सी.एफ.एस.एल., पीडब्लू-18 ने अपदस्थ किया कि काल्पनिक खाते का खाता खोलने का रूप अपीलार्थी पंकज कुमार जैन की लिखावट में था जो काल्पनिक खाताधारक राज कुमार का प्रतिरूप था। काल्पनिक खाताधारक की ओर से बैंक अभिलेखों से चेक बुक और पास बुक की रसीद अपीलार्थी पंकज कुमार जैन की लिखावट में थी। कथित राज कुमार द्वारा हस्ताक्षरित काल्पनिक खाते पर "स्वयं" के रूप में निकाले गए दो चेकों पर अपीलार्थी राम गोपाल की लिखावट थी। "स्वयं" द्वारा निकासी के लिए सभी 17 जाली चेकों पर हस्ताक्षर अपीलार्थी पंकज कुमार जैन की लिखावट में काल्पनिक खाता धारक का प्रतिरूपण करते हुए थे। हमारी राय में ये साजिश स्थापित करने के लिए पर्याप्त थे। अपीलार्थियों द्वारा भरोसा किए गए हस्तलेखन विशेषज्ञ डी.डब्ल्यू.-1 ने अपनी रिपोर्ट लेखन की फोटोकॉपी और अपीलार्थियों के हस्ताक्षर के आधार पर दी, न कि उनके नमूने के हस्ताक्षर के आधार पर। सुनवाई के दौरान हमने अपीलार्थियों के अधिवक्ता से पूछा कि क्या उन्होंने अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किए गए हस्तलेखन विशेषज्ञ की रिपोर्ट पर कोई आपत्ति दर्ज की थी। यह उचित रूप से कहा गया था कि उन्होंने ऐसा नहीं किया।

8. धोखाधड़ी बैंकिंग प्रक्रियाओं से अच्छी तरह से परिचित व्यक्तियों द्वारा व्यवस्थित तरीके से की गई थी। अपीलार्थी बैंक के कर्मचारी भी थे। बचाव पक्ष के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उनके पास अपराध करने के लिए किसी भी स्तर पर बैंक के अभिलेखों तक उनकी पहुंच नहीं थी। इसके विपरीत, उनकी संलिप्तता के साक्ष्य पुख्ता हो रहे हैं। अपने सामान्य कर्तव्यों के हिस्से के रूप में उनकी पहुँच वाउचरों और खातों तक भी थी। यहाँ तक कि नमूना हस्ताक्षर कार्ड को भी गायब कर दिया गया था और उसके स्थान पर एक फटे हुए कागज को रखा गया था।

9. इसलिए हम अपीलार्थियों की दोषसिद्धि में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं। याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

कल्पना के. त्रिपाठी याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

<u>अस्वीकरण :</u>
क्षेत्रीय भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

लाल सिंह, पूर्व ए.डी.जे.